तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **श्रीमती सरजूदेवी बनाम भागीरथमल** **1353/2017 (जीसीएमएस नं. 2017/00359)**	नम्बर व तारी अहकाम जो हुक्म की तामी जारी हुए
17.08.21	पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता अपीलान्ट उपस्थित उनकी बहस प्रार्थना पत्र आदेश–23 नियम–1 सपठित धारा 151 दीवानी प्रक्रिया पर सुनी गई। उन्होने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया है कि उपरोक्त अपील अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, चौमू जिला जयपुर के अपीलाधीन आदेश दिनांक 10.06.2017 के विरूद्ध न्यायालय श्रीमान् के समक्ष प्रस्तुत की गई है तथा अपीलार्थीया एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 1 भागीरथमल के मध्य आपसी सहमति व समझाईश से वाहमी राजीनामा हो गया है तथा दोनों पक्षों के मध्य अब अपील की विषयवस्तु के सम्बन्ध में कोई विवाद नही है, ना ही अपीलार्थीया रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के विरूद्ध हस्तगत अपील में अब अन्य कोई अनुतोष न्यायालय से चाहती है इसलिये अपीलार्थीया उपरोक्त अपील को प्रत्याहारित करना चाहती है। अतः अपीलार्थीया का आवेदन स्वीकार फरमाया जाकर अपीलार्थीया को उपरोक्त अपील को प्रत्याहारित करने के अनुमति प्रदान कर तदानुसार अपील निस्तारित किये जाने के आदेश फरमावें। हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा अधिवक्ता अपीलान्ट की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से जाहिर होता है कि अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के मध्य आपसी राजीनामा हो जाने के कारण अपीलान्ट स्वयं ही अपनी अपील को आगे नही चलाना चाहती है और अपील को विड्रा (प्रत्याहारित) करना चाहती है। ऐसी स्थिति में अब इस अपील को आगे चलाये रखे जाने का कोई औचित्य भी प्रतीत नही होता है। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलान्ट द्वारा अपील प्रत्याहारित किये जाने पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील पत्रावली दाखिल दफ्तर हो। आदेश सुनाया गया। (दिनेश कुमार यादव) संभागीय आयुक्त, जयपुर संभागीय आयुक्त जयपुर	